न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक

कलक्टर सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :— अनिल कुमार जैन

प्रकरण सख्या:—151/17 निर्णय दिनांक:—12.02.2021

1 श्रीमती संतोष पिता गौतमलाल पाटीदार उम्र वयस्क जाति पाटीदार निवासी झलाप तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान हाल अपने पति धनेश्वर पाटीदार निवासी किशनपुरा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

2 श्रीमती रमीला पिता गौतमलाल पाटीदार उम्र वयस्क जाति पाटीदार **निवासी झलाप तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर** राजस्थान हाल अपने पति रमेश पाटीदार निवासी किशनपुरा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

3 श्रीमती नर्वदा पिता पिता गौतमलाल पाटीदार उम्र वयस्क जाति पाटीदार **निवासी झलाप तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर** राजस्थान हाल अपने पति नारायण पाटीदार निवासी तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

4 श्रीमती राधा पिता गौतमलाल पाटीदार उम्र वयस्क जाति पाटीदार निवासी **झलाप तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान** हाल अपने पति नरेश पाटीदार निवासी खांडिया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

वादीयायागण

बनाम

1 श्री मुकेश पिता गौतमलाल पाटीदार उम्र वयस्क जाति पाटीदार निवासी झलाप तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

2 श्रीमती धनु बेवा पिता गौतमलाल पाटीदार उम्र वयस्क जाति पाटीदार निवासी झलाप तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

3 श्री कुबेर पिता रतनजी पाटीदार उम्र वयस्क जाति पाटीदार निवासी झलाप तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

4 श्री मान भुमिधारी लेण्ड होल्डर तहसीलदार साहब तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राज.।

प्रतिवादीगण

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 188, 209 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम
धारा 136 भु—राजस्व अधिनियम

उपस्थित :— श्री बालगोविन्द पाटीदार वादीयागण की ओर से

कालुराम डामोर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादीया द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीयागण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है। तथा मुलपुरूष गौतमलाल के वारिसान है।

कमशः पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

वादीयागण व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी ग्राम झलाप में खाता संख्या 195, खसरा नम्बर 460, 694, 1241, 1502, 1509, 1510, 1746, 1749, 2044/946 खेत किता 9 कुल रकबा 14.13 बीघा होकर स्थित है। जो वादीयागण व प्रतिवादीगण एव व दो की संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी है। एवं एक अन्य खाता संख्या 194, की खसरा नम्बर 1375 व 1508 कुल खसरा नम्बर दो कुल रकबा 10.14 बीघा होकर स्थित है। जिसमें 1/2 हिस्से पर वादीगण व प्रतिवादीगण एक व दो का तथा 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या तीन का है। उक्त आराजीयात के खाता संख्या 195 की सम्पूर्ण आराजी व खाता संख्या 194 के 1/2 हिस्से की भुमि पुर्व में वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता नाम दर्ज थी। जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का संयुक्त कब्जा काश्त है। वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजीयात पर लोन लेने हेतु प्रतिवादीगण ने खाते की नकल निकलवाई तो पता चला की जमाबंदी में वादीयागण का नाम नहीं है जिस पर वादीगण ने अपने पिता की मृत्यु के बाद खोले गये नामान्तरण की नकल निकलवायी तो पता चला की वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता की मृत्यु के पश्चात खोले गए नामान्तरण संख्या 660, 661 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारीयों से मिलीभगत कर गौतमलाल के वारिसानों की जगह प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ वादीगण के नाम नहीं लिखकर प्रतिवादीगण ने अकेले अपने नाम दर्ज करवा दिया जो विधिविरूद्ध होकर गलत है जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 से मिलकर राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त कराने की बात कही लेकिन प्रतिवादीगण नहीं माने तथा जमीन में हिस्सा देने से मना करने लगे व जमीन विक्रय करने की धमकी देने लगे जिससे वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मात्र नाम के आधार पर वादग्रस्त आराजी ग्राम झलाप में खाता संख्या 195, खसरा नम्बर 460, 694, 1241, 1502, 1509, 1510, 1746, 1749, 2044/946 खेत किता 9 कुल रकबा 14.13 बीघा होकर स्थित है। जो वादीयागण व प्रतिवादीगण एव व दो की संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी है। एवं एक अन्य खाता संख्या 194, की खसरा नम्बर 1375 व 1508 कुल खसरा नम्बर दो कुल रकबा 10.14 बीघा में कोई हिस्सा रहन, बक्षीस व विक्रय न करे व प्रतिवादी संख्या 4 ऐसा कोई दस्तावेज सम्पादित नहीं करे जिससे राजस्व रिकॉर्ड का कोई हिस्सा हस्तान्तरित माना जावे तथा वादीगण को काश्त करने में रूकावट पैदा नहीं करे।

इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है।

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी ने जरीए वकील उपस्थित हुए। प्रतिवादी की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने कई अवसर दिए गए जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर दिनांक 21.06.2019 को प्रतिवादी का जवाब बंद किया गया।

क्रमशः पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी

पत्रावली वास्ते साक्ष्य रखी गई। जिस दरमियान वादीयागण व प्रतिवादी के बीच आपसी राजीनामा हो जाने पर दिनांक 30.10.2017 को न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत किया गया।

1 प्रदर्श– 1 हाल जमाबंदी संवत 2070–2073

2 प्रदर्श– 2 हाल जमाबंदी संवत 2070–2073

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी वकील वक्त बहस वाद में अंकित तथ्य को दोहराते हुए तर्क दिया की वादीयागण व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी ग्राम झलाप में खाता संख्या 195, खसरा नम्बर 460, 694, 1241, 1502, 1509, 1510, 1746, 1749, 2044/946 खेत किता 9 कुल रकबा 14.13 बीघा होकर स्थित है। जो वादीयागण व प्रतिवादीगण एव व दो की संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी है। एवं एक अन्य खाता संख्या 194, की खसरा नम्बर 1375 व 1508 कुल खसरा नम्बर दो कुल रकबा 10. 14 बीघा होकर स्थित है। जिसमें 1/2 हिस्से पर वादीगण व प्रतिवादीगण एक व दो का तथा 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या तीन का है। उक्त आराजीयात के खाता संख्या 195 की सम्पुर्ण आराजी व खाता संख्या 194 के 1/2 हिस्से की भुमि पुर्व में वादीयागण व प्रतिवादीगण के पिता नाम दर्ज थी। जिस पर वादीयागण व प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात वादीयागण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का संयुक्त कब्जा काश्त है। जिस पर वादीयागण व प्रतिवादीगण ने आपसी राजीनामा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार वादीयागण व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी में गौतमलाल के वारिसानों में वादीयागण का नाम जोडने रजामंदी कर हस्ताक्षर युक्त राजीनामा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने वकील वादीयागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में दस्तावेजों का अवलोकन किया प्रदर्श 1 व 2 व आपसी राजीनामा से साबित होता है कि वादीयागण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विधिक वारिसान होकर वादीयागण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का संयुक्त कब्जा काश्त है। वादीयागण व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी ग्राम झलाप में खाता संख्या 195, खसरा नम्बर 460, 694, 1241, 1502, 1509, 1510, 1746, 1749, 2044/946 खेत किता 9 कुल रकबा 14.13 बीघा होकर स्थित है। जो वादीयागण व प्रतिवादीगण एव व दो की संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी है। एवं एक अन्य खाता संख्या 194, की खसरा नम्बर 1375 व 1508 कुल खसरा नम्बर दो कुल रकबा 10.14 बीघा होकर स्थित है। जिसमें 1/2 हिस्से पर वादीगण व प्रतिवादीगण एक व दो का तथा 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या तीन का है। उक्त आराजीयात के खाता संख्या 195 की सम्पुर्ण आराजी व खाता संख्या 194 के 1/2 हिस्से की भुमि पर वादीयागण के नाम जोडा जाना उचित समझता हुं। वादग्रस्त आराजी मे वादीयागण को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे।

क्रमशः पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम झलाप में खाता संख्या 195, खसरा नम्बर 460, 694, 1241, 1502, 1509, 1510, 1746, 1749, 2044/946 खेत किता 9 कुल रकबा 14.13 बीघा होकर स्थित है। जो वादीयागण व प्रतिवादीगण एक व दो की संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी है। एवं एक अन्य खाता संख्या 194, की खसरा नम्बर 1375 व 1506 कुल खसरा नम्बर दो कुल रकबा 10.14 बीघा होकर स्थित है। जिसमें 1/2 हिस्से पर वादीगण व प्रतिवादीगण एक व दो का तथा 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या तीन का है। उक्त आराजीयात के खाता संख्या 195 की सम्पुर्ण आराजी व खाता संख्या 194 के 1/2 हिस्से की भुमि पर वादीयागण के नाम जोडा जाना उचित समझता हुं। वादीयागण को वादग्रस्त आराजी मे काश्त करने मे रुकावट पैदा न करे। डिकी पर्चा मुर्तिब किया जावे।

अनिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा
सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 12.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी 12/2/2021
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

डिक्री व मुकदमें की इबारत

(आ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजरकोड, एपेन्डिक्स डी–1)

...लत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा मुकाम धम्बोला

...श्री उपखंड अधिकारी अनिल कुमार जैन सीमलवाडा

...थ वगैरह बनाम श्री मुकेश वगैरह

...–स्थायी निषेधाज्ञा 88, 188 व 209 राज.टी. एक्ट, धारा 136 भू राजस्व अधिनियम एवं

... धारा 151 जा.दी

...नम्बर:–151/201 ई. दी

...कदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :–श्री अनिल कुमार जैन

...री:–श्री बालगोविन्द पाटीदार मिनजानिब मुदई कालुराम डामोर व मिनजानिब मुदायलाह

...ति होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि:–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम झलाप मे खाता संख्या 195, खसरा नम्बर 460, 694, 1241, 1502, 1509, 1510, 1746, 1749, 2044/946 खेत किता 9 कुल रकबा 14.13 बीघा होकर स्थित है। जो वादीयागण व प्रतिवादीगण एव व दो की संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी है। एवं एक अन्य खाता संख्या 194, की खसरा नम्बर 1375 व 1508 कुल खसरा नम्बर दो कुल रकबा 10.14 बीघा होकर स्थित है। जिसमें 1/2 हिस्से पर वादीगण व प्रतिवादीगण एक व दो का तथा 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या तीन का है। उक्त आराजीयात के खाता संख्या 195 की सम्पुर्ण आराजी व खाता संख्या 194 के 1/2 हिस्से की भुमि पर वादीयागण के नाम जोडा जाना उचित समझता हुं। वादीयागण को वादग्रस्त आराजी मे काश्त करने मे रुकावट पैदा न करे।

...तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 12.02.2021 को जारी की गई

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा . . सीमलवाडा . . . .

मुदई	रूपया / पेसा	मुदायलाह	रूपया / पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प व जेह सबुत म्हेनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी म्हेनतनामा वकील खर्चा गवाहान फिस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
थमजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा